प्रेस विज्ञप्ति

02.06.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अलीराजपुर के पूर्व जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया और उनके परिवार के सदस्यों की लगभग 18.20 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

ईडी ने धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(बी) के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें उन पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया गया था।

जांच से पता चला कि 1987 से 31.08.2025 तक की अवधि के दौरान, धर्मेंद्र सिंह भदौरिया ने अपनी ज्ञात आय के स्रोतों के अनुपात से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की। लगभग 2 करोड़ रुपये की वैध आय के मुकाबले, उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों ने लगभग 11.18 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की और खर्च किए, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 9.18 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति हो गई, यानी उनकी ज्ञात वैध आय से लगभग 459% अधिक।

जांच के दौरान यह पाया गया कि धर्मेंद्र सिंह भदौरिया और उनके परिवार से जुड़े विभिन्न परिसरों और बैंक लॉकरों पर संबंधित एजेंसी द्वारा की गई तलाशी में भारी मात्रा में नकदी, सोने के आभूषण, सोने की ईंटें, चांदी के गहने और अन्य मूल्यवान वस्तुएं बरामद और जब्त की गईं। पीएमएलए के तहत की गई जांच में यह भी पता चला कि धर्मेंद्र सिंह भदौरिया ने जब्त की गई नकदी और आभूषणों पर अपना स्वामित्व स्वीकार किया। हालांकि, वह उक्त संपत्तियों के अधिग्रहण के संबंध में कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण, पुख्ता स्रोत या सहायक दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करने में विफल रहे।

आगे की जांच में पता चला कि धर्मेंद्र सिंह भदौरिया और उनके परिवार के सदस्यों के पास जांच अवधि के दौरान अर्जित उच्च मूल्य की चल और अचल संपत्ति पाई गई। इन संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए उपयोग किए गए धन के स्रोत का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिल सका और यह परिवार की ज्ञात वैध आय के अनुपात में नहीं पाया गया।

पीएमएलए जांच के दौरान, 18.20 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति पाई गई, और इसकी जानकारी पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत लोकायुक्त के विशेष कार्यकारी प्राधिकरण (एसपीई) के साथ साझा की जा रही है। तदनुसार, ईडी ने पीएमएलए, 2002 की धारा 5(1) के तहत अपराध की आय और/या उसके मूल्य के रूप में लगभग 18.20 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है, ताकि उन्हें छिपाने, हस्तांतरित करने या निपटाने से रोका जा सके और ज़ब्ती की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। इसमें नकदी, आभूषण, कीमती धातुएं और अचल संपत्तियां शामिल हैं।

आगे की जांच जारी है।